



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082025-265282
CG-DL-E-07082025-265282

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3531]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2025/श्रावण 15, 1947

No. 3531]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2025/SHRAVANA 15, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2025

का.आ. 3618(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 5209(अ), तारीख 03 दिसंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों, के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“1.	अध्यक्ष, लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति	अध्यक्ष, पदेन।”
-----	--	-----------------

[फा. सं. -12-5/2005-आईए. III(भाग I)]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:-मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 5209(अ), तारीख 03 दिसंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 6th August, 2025

S.O. 3618(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 5209(E), dated the 3rd December, 2024, namely:-

In the said notification, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

“1.	Chairman Lakshadweep Pollution Control Committee	Chairman, ex officio.”
-----	---	------------------------

[F.No-12-5/2005-IA.III (Part I)]

RAJAT AGARWAL, Jt Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), *vide* number S.O. 5029(E), dated 3rd December, 2024.